

अनुस्मारक

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 1681 /अमरोहा/19948/2016, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 07, 2017


सेवा में,
वन संरक्षक,(नाम से)
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : अमरोहा में बदायूँ-विजनौर मार्ग (NH-51) के किमी0 113.100 की दायीं पटरी पर ग्राम-निजामपुर शर्की के खसरा सं0-79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: उ0प्र0शासन का पत्रांक-पी-149/14-2-2016-800(148)/2016, दि0 12.01.17
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक-1531/19948/2016, दि0 20.01.17

महोदय,
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उ0प्र0शासन द्वारा अपेक्षित सूचना अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः प्रकरण में वांछित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



भवदीय,
(Signature)

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1681 / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार वांछित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय,
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
गा०वा० मुरादाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश
मुरादाबाद

(Signature)

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 4380 /14-1, दिनांक, 10/02/2017

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को विकसित इस में सूचनाएं एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित सूचना पत्राधिकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो, ताकि सूचना उच्च स्तर को भेजी जा सके। प्रकरण के निष्कर्ष में आप सूचना विनिर्देश होगे।

(Signature)
अपर प्रादेशीय अधिकारी
कार्यालय
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक

गा०वा० मुरादाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश
मुरादाबाद